University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव

Dr. Vinod Kumar singh
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

संख्या Store - 6421-25
दिनांक 05/04/2021

सूचना

विज्ञापन प्रारूपः-(4x8cm)

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
वाहन नीलामी सूचना
विश्वविद्यालय की 03 निष्प्रयोज्य अम्बेसडर कार की नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 22.04.2021 को नीलामी में शामिल हो सकते है। नियम व शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइटwww.lkouniv.ac.in पर देख सकते है।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या-........................... दिनांक-...........................
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
3. निदेशक आई0पी0पी0आर को इस आशय से प्रेषित की विज्ञापन दो दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
4. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित की वाहन नीलामी के नियम व शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
पुराने वाहनों की नीलामी सम्बन्धित नियम व शर्ते

1. पुराने वाहनों की नीलामी में शासन के नियम एवं दिशा–निर्देशों का पालन आवश्यक होगा, जिनको क्रेता द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर देखा जा सकता है ।
2. प्रतिभूति धनराशि रू0 5,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पक्ष में देय हो या नकद धनराशि जो कैशियर कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्रेता भाग नहीं ले सकेगा ।
3. नीलामी के बाद क्रय किये गये वाहन को किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जायेगा ।
4. नीलामी के बाद क्रेता को बोली स्वीकार होने की दशा में तीन दिवस के अन्दर शेष धनराशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्रेता का नीलामी आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी, जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी । उक्त वाहनों की बोली तत्समय पुनः लगायी जायेगी और अधिक बोली लगाने वाले क्रेता को वाहन विक्रय कर दिया जायेगा ।
5. यदि कोई क्रेता वाहन क्रय करने के बाद एक सप्ताह के अन्दर वाहनों को नहीं ले जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका विक्रय अनुबन्ध स्वतः ही निरस्त हो जायेगा । उक्त वाहनों की नीलामी दूसरे क्रय के बोलीदाता के पक्ष में की जायेगी और पूर्व क्रेता का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6. क्रेता को एक सप्ताह के अन्दर वाहनों को ले जाना अनिवार्य होगा । विषम परीस्थितियों में यदि क्रेता और अधिक समय की माँग करता है और उसे समय दे दिया जाता है तो क्रय वाहन में किसी तरह की क्षति, टूट–फूट एवं चोरी आदि की जिम्मेदारी वाहन क्रेता की होगी ।
7. वाहन क्रय करने के बाद यदि किसी क्रेता द्वारा वाहन को न लेने का आवेदन दिया जाता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
8. नीलामी वाहनों की बोली के समय अधिकतम् बोली देने वाले के पक्ष में बोली स्वीकार की जायेगी ।
9. नीलाम वाहन की नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति का होगा ।
10. किसी वाहन के मूल कागजात न उपलब्ध होने पर कागजात की द्वितीय प्रति वाहन क्रेता को अपने खर्च पर आर0टी0ओ0 कार्यालय से लेनी होगी ।
11. बिक्रित वाहन को चलाने का अधिकार क्रेता के स्वयं का होगा । विश्वविद्यालय के किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि वाहन को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है ।
12. नीलामी में भाग लेने वाले आवेदनों में से जिनके पक्ष में बोली स्वीकार नही होगी। उनकी प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी।
13. वाहन जहाँ होगा जैसी स्थिति में होगा उसे बोली स्थल पर नहीं लाया जायेगा। क्रेता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व वाहन को देखने का अधिकार रहेगा, परन्तु यदि वाहन चालू नहीं होता है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा चालू कराकर कदाचित नही दिखाया जायेगा।
14. वाहन नीलामी के समय वाहन का कागजात/प्रपत्र उपलब्ध होगा और जैसी स्थिति में होगा वही क्रेता को उपलब्ध कराया जायेगा। उसका न तो शुद्धीकरण कराया जायेगा और न ही उसका नवीनीकरण कराया जायेगा।
15. नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रारूप विश्वविद्यालय की बेवसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी और व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय के स्टोर विभाग से सम्पर्क कर छायाप्रति प्राप्त की जा सकेगी।
16. किसी भी वाद–विवाद के लिये न्याय क्षेत्र लखनऊ रहेगा ।

वाहन विवरणः–

1. यू0पी0 32–ए0ए0–1045 अम्बेसडर कार
2. यू0पी0 32–वी–0848 अम्बेसडर कार
3. यू0पी0 32–ए0के0–7016 अम्बेसडर कार

Hon'ble V.C
कृ0 अनुमोदनार्थ /
05/04
(R)
05/04/21

20/3/2021

20.3.2021

20/03/2021

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी हेतु आवेदन–पत्र

1. नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. पता (प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....

....

4. अधिकृत लाइसेंस (यदि हो तो उल्लेख करें)
5. वाहन का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है...............................

....

....

6. ई मेल आई.डी...
7. दूरभाष नम्बर..अथवा मोबाइल नम्बर....................
8. प्रतिभूति राशि जमा की धनराशि का विवरण...
9. नीलामी की जानकारी एवं माध्यम..

घोषणा

उपर्युक्त विवरण मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य है । मैने विश्वविद्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य वाहनों के सम्बन्ध में जारी किये गये संलग्न नियम बेवसाइट पर प्रदर्शित दिशा–निर्देश को भलीभाँति अध्ययन कर लिया है । मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ और उनका पालन करने को वचनवद्व हूँ । मैं स्वेच्छा से वाहन नीलामी में भाग ले रहा हूँ और नीलामी हेतु निर्धारित प्रकिया एवं दिशा–निर्देश का उल्लंघन करने पर मेरा आवेदन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

प्रार्थी / आवेदक